जी. विश्वनाथन व अन्य

बनाम

माननीय वक्ता तमिल नाडु लेजिस्लेटिव असेम्बली, मद्रास और अन्य

24 जनवरी, 1996

[ए. एम. अहमदी, सी.जे. और के. एस. परीपूरनन, जे.]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 190 (3) (ए) और 191 (2)-दसवीं अनुसूची-पैरा 2 (1) (ए) स्पष्टीकरण-व्याख्या के साथ पढ़ा जाता है। तमिलनाडु विधानसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1986:

विधान सभा सदस्य-अयोग्यता-पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सदस्य पद से निष्कासन-सभापति का निर्णय कि सदस्य अनासक्त घोषित- किसी अन्य दल में शामिल हो रहे हैं-ऐसा माना जाता है कि ऐसे सदस्य ने स्वेच्छा से अपना सदस्य पद दिया है-अभिनिर्धारित किया गया - दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित- सदस्य को अनासक्त के रूप में लेबल करने को दसवीं अनुसूची के तहत कोई मान्यता नहीं है।

दलबदल-अयोग्यता- अभिव्यक्ति -'ने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ दिया।' विस्तार-अभिनिर्धारित- पार्टी की सदस्यता छोड़ने की कार्रवाई व्यक्त या निहित हो सकती है।

कानूनी कल्पना-प्रावधान मानते हुए-विधानमंडल की क्षमता अधिनियम की-अभिनिर्धारित- आयोजित काल्पनिक कथा को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए।

इन अपीलों में सवाल यह है कि क्या किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का कोई सदस्य, पूर्व दल से निष्कासित होने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने पर स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक पार्टी की अपनी सदस्यता छोड़ने के कारण

अयोग्य हो जाता है। अपीलार्थिगण ने अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र खजगम पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ा और **1991** में हुए आम चुनावों में तमिलनाडु विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने गए। उन दोनों को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र खजगम पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। **16** मार्च, **1994** के अपने आदेश द्वारा सभापति ने दोनों को विधानसभा से 'अनासक्त' सदस्य घोषित किया। **6** मार्च, **1995** को सचिव विधान सभा ने तमिलनाडु विधानसभा की धारा **7** (अयोग्यता) के तहत दोनों अपीलार्थियों को नोटिस दलबदल के आधार पर)जारी किया, नियम, **1986** उन्हें इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव करता है कि दोनों अपीलार्थी मारू मलारची द्रविड़ मुनेत्र खजगम नामक एक अन्य (नए) दल में शामिल हो गए हैं। अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त नोटिस की वैधता पर असफल चुनौती दी। इसके बाद, अपीलार्थिगण ने अभ्यावेदन विधानसभा के सभापति के समक्ष पेश किया, उसमें कहा गया है कि वे विधानसभा के "अनासक्त सदस्य" थे और इसलिए अयोग्यता के संबंध में भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधान उन पर लागू नहीं थे। सभापति ने **20** अप्रैल, **1995** के अपने आदेश में कहा कि अपीलार्थिगण को तमिलनाडु विधानसभा का सदस्य होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था।भारत के संविधान के अनुच्छेद **191 (2)** के तहत तमिलनाडु विधानसभा, जिसे दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ **2** के उप-पैरा **(1)** के खंड (ए) के साथ पढ़ा जाता है, तत्काल प्रभाव से विधानसभा के सदस्य नहीं रह गए थे। उच्च न्यायालय ने सभापति के इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि अपीलार्थिगण ने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ दी है जिसने उन्हें उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था और इस तरह उन्हें विधानसभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। संविधान का अनुच्छेद

191 (2) दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद **2** के उप-अनुच्छेद **(1)** के खंड **(ए)** के साथ पढ़ा जाता है।

इस न्यायालय में अपील में अपीलार्थिगण की ओर से यह तर्क दिया गया था कि **(i)** संविधान की दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद **2 (ए)** केवल उस सदस्य को अयोग्य ठहराने के लिए लागू होता है जिसने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी थी जिसने उसे उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था, न कि जब उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और "अनासक्त" घोषित किया गया था, यानी किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं; **(ii)** अनुच्छेद **2 (ए)** केवल तभी लागू होगा जब कोई सदस्य स्वयं अपनी इच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं। किसी भी सदस्य को उस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया या निष्कासित कर दिया गया जिसने उसे एक सदस्य के रूप में स्थापित किया था। उम्मीदवार, पैराग्राफ **2 (ए)** की शरारत के दायरे में नहीं आएगा। निष्कासन द्वारा निष्कासित सदस्य, उस पार्टी का सदस्य 'समाप्त' हो जाएगा जिसने उसे उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था और भले ही वह उसके बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाए, राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता 'स्वेच्छा से' छोड़ने का मामला नहीं होना चाहिए, जिसने उन्हें चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था।

प्रत्यर्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि **(i)** संविधान की दसवीं अनुसूची की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए; **(ii)** हालांकि जिस राजनीतिक दल ने अपने दम पर किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था, उस राजनीतिक दल द्वारा निष्कासन पैराग्राफ **2 (1) (ए)** को आकर्षित नहीं कर सकता है, उसके दूसरे दल में शामिल होने का आगे का कार्य की सदस्यता को 'स्वेच्छा से छोड़ने' के बराबर है,जिस राजनीतिक दल ने उन्हें उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था; और **(iii)**

दसवीं अनुसूची के पैरा **2 (1)** के स्पष्टीकरण में निहित उपबंध को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

अपीलों को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. उच्च न्यायालय का निर्णय, तमिलनाडु के विधानसभा सभापति द्वारा विधान सभा से अयोग्यता के आदेश में हस्तक्षेप करने से न्यायालय का इनकार, कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान करती है।

2. माने गए तथ्य के अस्तित्व के अभाव को स्वीकार करना, एक डीमिंग प्रावधान है। विधानमंडल एक डीमिंग प्रावधान लागू करने के लिए सक्षम है। एक ऐसे तथ्य के अस्तित्व को मानने के उद्देश्य से जो मौजूद भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि न्यायालयों को यह मान लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति वास्तविक के रूप में मौजूद है, और उन्हें वास्तविक के रूप में उन परिणामों और घटनाओं की कल्पना करनी चाहिए जो अनिवार्य रूप से उनसे प्रवाहित होते हैं, और उन्हें प्रभाव दिया जाना चाहिए। डीमिंग प्रावधान का उद्देश्य किसी विशेष शब्द के अर्थ को बढ़ाना या उन मामलों को शामिल करना हो सकता है जो अन्यथा मुख्य प्रावधानों के भीतर आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं।

ईस्ट एंड ड्वेलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, **(1952)** एसी **109 = (1951) 2** ए. ई. आर. **587;** बॉम्बे राज्य बनाम पांडुरंग, ए. आइ. आर. **(1953)** एससी **244** और एम. वेणुगोपाल बनाम संभागीय प्रबंधक, **[1994] 2** एस. सी. सी. **323,** का आधार लिया।

3. चूँकि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ **2 (1)** के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि किसी सदन का निर्वाचित सदस्य निम्न का माना जाएगा **-** उस राजनीतिक दल, यदि कोई हो, जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के

रूप में स्थापित किया गया था, ऐसा व्यक्ति जिसे उम्मीदवार के रूप में इस प्रकार स्थापित किया गया था और सदस्य के रूप में चुना गया था, उस दल का सदस्य बना रहेगा। भले ही ऐसे सदस्य को पार्टी से बाहर कर दिया जाए या निष्कासित कर दिया जाए, लेकिन दसवीं अनुसूची के उद्देश्यों के लिए वह उस राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहेगा जिसने उसे चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था। वह उस राजनीतिक दल से संबंधित बने रहेंगे, भले ही उन्हें "अनासक्त" माना जाए। किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ने का कार्य या तो स्पष्ट या निहित हो सकता है। जब कोई व्यक्ति जिसे पार्टी से बाहर कर दिया गया है या निष्कासित कर दिया गया है, जिसने उसे उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया है और निर्वाचित हुआ है, वह किसी अन्य (नई पार्टी) में शामिल हो जाता है, तो यह निश्चित रूप से उसकी स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने के बराबर होगा जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था। इसलिए, काल्पनिक कल्पना को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए अन्यथा निष्कासित सदस्य कानून की कठोरता से बच जाएगा जिसका उद्देश्य दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाना था जिसने हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को प्रदूषित कर दिया था।

किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लू और अन्य, **[1992]** सप. **2** एससीसी **651** और रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ और अन्य , **[1994]** सप. **2** एस. सी. सी. **641,** का आधार लिया।

4. दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ **1 (**बी**)** को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसे पैराग्राफ **2,3** और **4** के साथ पढ़ा जाना चाहिए। पैराग्राफ **1 (**बी**)** में सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधायक दल का उल्लेख करना किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित, अनुच्छेद **2,3** और **4** के प्रावधानों को संदर्भित करता है, जैसा भी मामला हो,

जिसका अर्थ है उस सदन के सभी सदस्यों का समूह जो उस समय उस राजनीतिक दल से संबंधित है, कथित प्रावधानों, अर्थात्, पैराग्राफ **2,3** और **4,** के अनुसार, जैसा भी मामला हो। स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा गया पैराग्राफ **2 (1)** स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक निर्वाचित सदस्य उस राजनीतिक दल से संबंधित रहेगा जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बावजूद उन्हें उस पार्टी से बाहर कर दिया गया या निष्कासित कर दिया गया। यह सदस्य और उसके दल के बीच का मामला है और जहां तक दसवीं अनुसूची के खंड को मानने का संबंध है, इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। किसी राजनीतिक दल की कार्रवाई सदस्य के प्रति, का कोई महत्व नहीं है और वह दसवीं अनुसूची के तहत कानून की कल्पना पर प्रभाव नहीं डाल सकता है।

5. किसी सदस्य को 'अनासक्त' के रूप में लेबल करने का न तो दसवीं अनुसूची में कोई स्थान है और न ही कोई मान्यता है। दसवीं अनुसूची में सदस्यों का वर्गीकरण केवल सदन में उनके प्रवेश के तरीके पर आगे बढ़ता है, **(i)** वह व्यक्ति जिसे किसी राजनीतिक दल द्वारा ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किए जाने पर चुना गया है; **(2)** वह व्यक्ति जिसे किसी राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के अलावा अन्य सदस्य के रूप में चुना गया है **-**आमतौर पर एक चुनाव में एक **'**स्वतंत्र**'** उम्मीदवार के रूप में संदर्भित किया जाता है; और **(3)** एक जिसे नामित किया गया है। उल्लिखित श्रेणियाँ संपूर्ण हैं। संविधान की दसवीं अनुसूची में परिकल्पित या प्रदान की गई श्रेणी के अलावा किसी नई श्रेणी या खंड का आविष्कार करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित था, उसे एक उम्मीदवार के रूप में स्थापित करता है, सदन के लिए चुना जाता है और उसके बाद किसी भी कारण से किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, या तो पार्टी से निष्कासन के कारण या अन्य कारणों से, वह स्वेच्छा से राजनीतिक

दल की अपनी सदस्यता छोड़ देता है और अयोग्यता का सामना करता है। 'अनासक्त' के रूप में माना जाना दसवीं अनुसूची के बाहर केवल सुविधा का विषय है और पैराग्राफ **2 (1)** के स्पष्टीकरण के तहत माने जाने वाले तथ्य को नहीं बदलता है। जहाँ तक दसवीं अनुसूची का संबंध है,ऐसी व्यवस्था और लेबलिंग का कोई कानूनी संबंध नहीं है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2269-70/1996

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 29.9.95 से जो रिट अपील सं. 559/ 1995 और रिट अपील सं. 6331 / 1995 में पारित किया गया।

अपीलार्थियों की ओर से शांति भूषण, मुकुल मुद्गल, बी. आर. मनोहर और गोपाल जैन।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए सोली जे. सोराबजी, एन. ज्योति और के. के. मणि।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए सोली जे. सोराबजी, ए. मारियारपुथम, सुश्री अरुणा माथुर, अरूपुथम अरुणा एंड कंपनी।

न्यायालय का निर्णय अहमदी**,** सी**.**जे**.** द्वारा दिया गया था

विशेष अनुमति प्रदान की गयी ।

अपीलार्थी तमिलनाडु विधानमंडल के दो सदस्य हैं, विधानसभा के 1991 में हुए आम चुनावों में निर्वाचित । वे दोनों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र खजगम (संक्षेप में 'ए. आई. ए. डी. एम. के') द्वारा स्थापित उम्मीदवार थे। श्री विश्वनाथन आर्कोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे जबकि श्री अझागु थिरुनावुक्कारासु ओरथानाडु निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। दोनों को 8 जनवरी, 1994 को ए. आई. ए. डी. एम. के. पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दिनाँक 16 मार्च, 1994 को तमिलनाडु विधान सभा के सभापति (संक्षेप में 'विधानसभा') ने दोनों अपीलार्थियों को विधानसभा के

‘अनासक्त’ सदस्य घोषित किया। कुछ कागजात और अन्य दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एक सुब्बूरेथिनम, सभा के सदस्य, ने सभापति को सूचित किया कि दोनों अपीलार्थी एक अन्य (नई) पार्टी मारू मलारची द्रविड़ मुनेत्र खजगम (संक्षेप में 'एम. डी. एम. के.') में शामिल हो गए हैं और इसलिए उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। 6 मार्च, 1995 को सचिव विधान सभा ने तमिलनाडु विधानसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1986 की धारा 7 के तहत एक नोटिस जारी किया और सुब्बूरेथिनम द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर अपीलार्थियों से अयोग्य घोषित करने के लिए टिप्पणियों को आमंत्रित किया। अपीलार्थियों ने रिट याचिका संख्या 3562 और 3563 / 95 मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की।और 6 मार्च, 1995 को विधानसभा के सचिव के उक्त नोटिस को चुनौती दी। न्यायाधीश शिवराज पाटिल ने 10 मार्च, 1995 के आदेश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रिट याचिकाएँ खारिज कर दी:

> "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को ध्यान में रखते हुए, इन रिट याचिकाओं पर विचार करना मैं उचित नहीं समझता । इसी तरह के सवाल पर इस अदालत ने पहले ही दो रिट याचिकाओं डब्ल्यू. पी. सं. 5349/ 1994 और 5496 /1994 पर विचार किया है, जब विशेष रूप से पूछा गया, तो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि उस तारीख को जब पहले की रिट याचिकाएं थी केवल अनासक्त सदस्यों को पार्टी से निष्कासित किया गया है और जो अन्य राजनीतिक दलों में शामिल नहीं हुए, लेकिन आज की समय वे कोई और राजनीतिक दल में शामिल हो चुके हैं। जो भी हो सकता है,सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय, के प्रकाश में इन रिट

याचिकाओं पर विचार करने के लिए मैं इच्छुक नहीं हूँ।" (जोर दिया गया)

इसके बाद, अपीलरथिगण ने सभापति तमिल नाडु विधानसभा के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, यह कहते हुए की वे "अनासक्त सदस्य" और इसलिए भारत का संविधान के दसवीं अनुसूची के अयोग्यता के संबंध में प्रावधान उन पर लागू नहीं होता था। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि प्रारंभिक प्रश्न यह है कि क्या संविधान की दसवीं अनुसूची उन पर लागू होगी या नहीं, क्योंकि वे अनासक्त सदस्य हैं, ये निर्णय पहले लिया जा सकता है। सभापति ने पूरे मामले को विस्तार से विचार किया और अलग-अलग लेकिन दिनाँक 20 अप्रैल, 1995 के समान आदेश से निस्तारन किया :

"14. स्वीकार किए गए निम्न प्रासंगिक तथ्य तिनकियों को तय करने के लिए आवश्यक हैं:

A. कि उत्तरदाता ने (आर्कोट) से आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र खझगम पार्टी, ओरथंडु निर्वाचन क्षेत्र के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा ।

B. कि उन्हें अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र खझागम पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया गया था ।

C. कि उन्हें एक निर्णय दिनांकित 16.3.1994 द्वारा कन्वेंशन के अनुसार 'अनासक्त' सदस्य घोषित किया गया था और दसवीं अनुसूची या उस अधिनियम द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियम के अनुसार नहीं।

D. कि वह किसी अन्य राजनीतिक दल "मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र खझगम " में शामिल हो गए थे।"

इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हुए, सभापति ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के पैराग्राफ 2 (1), 2 (2) और उप-पैराग्राफ (1) के स्पष्टीकरण (ए) का अर्थ निकाला और अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया जाता है और वह निर्वाचित हो जाता है, तो उसे हमेशा उसी पार्टी का माना जाना चाहिए जिससे वह चुना गया था और यदि वह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो यह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ने के बराबर होगा और उप-पैराग्राफ (1) (ए) के तहत अयोग्यता के अधीन हो जाएगा। स्वीकार किए गए तथ्यों के आलोक में और उनके द्वारा कानून की दृष्टि से आयोजित, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलर्थिगण ने अपने स्पष्टीकरण में इनकार नहीं किया था कि वे एक नई पार्टी में शामिल हो गए थे, सभापति के उक्त आदेश के अनुच्छेद 20 में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए गए हैंः

"1. कि वे तमिलनाडु विधान सभा के लिए चुने गए एक राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार (अर्थात) अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र खझागम (ए. आइ.ए. ड़ी. एम. के.) हैं,

2. कि दसवीं अनुसूची के प्रयोजन के लिए, वह उस राजनीतिक दल माना जाएगा, अर्थात अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र खझागम (ए. आइ.ड़ी. एम.के.))से संबंधित हैं।उप-पैरा 2 (1) (ए) का नोट के स्पष्टीकरण के अनुसार, हालांकि उसे उस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और मेरे द्वारा 'अनासक्त' सदस्य घोषित किया गया,

3. कि वह एक अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो गया है नामतः मरूमालार्चि द्रविड़ मुनेत्र खझागम,

4. कि उन्होंने याचिकाकर्ता की किसी भी सामग्री (एस. आई. सी.) से इनकार नहीं किया है जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है, और

5. कि वह दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 और 4 में परिकल्पित अपवाद के दायरे में नहीं आता है।"

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थिगण ने तमिलनाडु विधान सभा के अनुच्छेद 191 (2) सपठित भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (1) के खंड (ए) के तहत सदस्य होने के कारण अयोग्यता का सामना किया था और इसके साथ तत्काल प्रभाव से विधानसभा के सदस्य नहीं रहे थे।

अपीलार्थियों ने रिट याचिका संख्या 6331 और 6332/95 दायर की और सभापति के दिनांक 20 अप्रैल, 1995 के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी। उन्होंने सभापति को उपरोक्त आदेश को प्रभावी बनाने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान के लिए प्रार्थना करते हुए सी. एम. पी. संख्या 10261 & 10262 / 95 भी दायर की। हालांकि शुरू में निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनाँक 26 अप्रैल, 1995 द्वारा निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया और सीएमपी को खारिज कर दिया। अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द करने के आदेशों से व्यथित होकर, अपीलर्थिगण ने रिट अपील संख्या 559 और 560 / 1995 दायर की। और उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने यह देखते हुए कि रिट अपीलों और रिट याचिकाओं ने एक ही मुद्दे उठाए हैं, उन्हें एक साथ सुना और 29 सितंबर, 1995 के एक सामान्य निर्णय द्वारा उनका निस्तारण किया। खण्ड पीठ ने रिट याचिकाओं और रिट अपीलों में कोई भी योग्यता नहीं देखी और उन्हें खारिज कर दिया। यह उच्च न्यायालय के उक्त सामान्य निर्णय के खिलाफ है कि अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की है।

हमने अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील श्री शांति भूषण को और प्रत्यर्थिगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोली जे. सोराबजी सुना। अपीलार्थियों के वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों का मुख्य जोर यह था कि संविधान की दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 2 (ए) केवल लागू एक ऐसे सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए लागू होता है जो स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ देता है जिसने उसे उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था, न कि जब उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है और "अनासक्त" घोषित किया जाता है, यानी किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं। पैराग्राफ 2 (ए) केवल तभी लागू होगा जब कोई सदस्य स्वयं अपनी इच्छा से पार्टी की अपनी सदस्यता छोड़ दी होगी। जिस पार्टी ने उसे उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, उससे निष्कासित या निष्कासित किया गया कोई भी सदस्य पैराग्राफ 2 (ए) की शरारत के दायरे में नहीं आएगा। निष्कासन द्वारा सदस्य को निकाल दिया जाता है उस पार्टी का सदस्य होना 'बंद' कर देगा जिसने उसे उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था और भले ही वह उसके बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाए, यह मामला स्वैच्छिक रूप से उस राजनीतिक दल जिसने उन्हें चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था, उसकी सदस्यता छोड़ देने का नहीं होगा । दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के वकील, श्री सोली जे. सोराबजी ने प्रस्तुत किया कि दसवीं अनुसूची संविधान की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए, और कानून को लागू करके शरारत रोकने की कोशिश की गई है इसको ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि हालांकि उस राजनीतिक दल द्वारा निष्कासन जिसने किसी व्यक्ति को अपने दम पर उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था, पैराग्राफ 2 (1) (ए) को आकर्षित नहीं कर सकता है, लेकिन उसके दूसरे दल में शामिल होने का आगे का कार्य 'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने' के बराबर है, उस राजनीतिक दल को जिसने उन्हें उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि स्पष्टीकरण में निहित डीमिंग

प्रावधान को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और इस निष्कर्ष के आलोक में कि अपीलार्थी किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो गए थे, उच्च न्यायालय की पुष्टि करने में सभापति का यह निष्कर्ष उचित ठहराया कि अपीलकर्ताओं ने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ दी थी जिसने उन्हें उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 191 (2) के तहत दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (1) के खंड (ए) के साथ पढ़ने के लिए विधानसभा का सदस्य होने के लिए अयोग्यता का सामना करना पड़ा था।

इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं। अनुच्छेद 190 'सीटों के ख़ाली होने' से संबंधित है और अनुच्छेद 191 'सदस्यता के लिए अयोग्यता' की बात करता है। उक्त के प्रासंगिक भाग, जिन दो लेखों से हम संबंधित हैं, उन्हें नीचे पढ़ा जा सकता हैः

"190. (1)

(2)

(3) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य -

(क) अनुच्छेद 191 का खंड (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है; या

191. (1) एक व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधानपरिषद का सदस्य के रूप में चुने होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा,

(ए)... .....

(बी)... .....

(सी) ... .

(डी) … .....

(ई) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य है।

दसवीं अनुसूची

"1. व्याख्या: इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

(क) "सदन" से संसद या विधान सभा या, जैसा भी मामला हो,किसी राज्य का विधानमंडल के कोई भी सदन से अभिप्राय है ;

(ख) "विधायी दल", पैराग्राफ 2 या पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन के सदस्य के संबंध में या, जैसा भी मामला हो, पैराग्राफ 4 का अर्थ है उस समय के लिए सदन के सभी सदस्यों से बना समूह उस राजनीतिक दल से संबंधित उक्त प्रावधान के अनुसार ;

(ग) पैरा 2 के उप-पैराग्राफ (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी सदन के सदस्य के संबंध में “मूल राजनीतिक दल” का अर्थ वह राजनीतिक दल है जिससे वह संबंधित है;

(डी) "पैराग्राफ" का अर्थ इस अनुसूची का एक पैराग्राफ है।

2. दलबदल के आधार पर अयोग्यता- (1) विषय के अधीन, पैराग्राफ 3, 4 और 5 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य,सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा।

(ए) यदि उसने स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है ; या

(बी) … .....

स्पष्टीकरण- इस उप-पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए -

(ए) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य उस राजनीतिक दल, यदि कोई हो, का सदस्य समझा जाएगा, जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया गया था।

(बी) सदन का एक मनोनीत सदस्य,

(i) जहां वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नामांकन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, वहां उसे ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य माना जाएगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, यह समझा जाए कि वह उस राजनीतिक दल से संबंधित है जिसका वह सदस्य बनता है, या, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले सदस्य बन जाता है जिस दिन वह अनुच्छेद 99 या, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 188 की आवश्यकताओं का पालन करने के बाद अपनी सीट लेता है।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य रूप में चुना गया हो, यदि वह ऐसे चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(3) सदन का एक मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह अनुच्छेद 99 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद अपनी सीट लेने की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। जैसा भी मामला हो। (अनुच्छेद 188)"

इन अपीलों में उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदु दसवीं अनुसूची के स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जाने वाले पैराग्राफ 2(1)(ए) पर रखे जाने वाले व्याख्या के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। क्या किसी सदन का सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित है, अपने पूर्व दल से निष्कासन के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने पर स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने के कारण अयोग्य हो जाता है?

कानून बनाने के लिए विधायी पृष्ठभूमि प्रासंगिक प्रावधानों को समझने की कुंजी प्रदान करती है। संसद को दसवीं अनुसूची सम्मिलित करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया, यह विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के विवरण से देखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 आया, जिसे किहोतो होल लोहान बनाम ज़ाचिल्हू और अन्य, [1992] पूरक 2 एससीसी 651 (668) मामले के निर्णय में उद्धृत किया गया है। इसका निम्नलिखित प्रभाव है:

"राजनीतिक दलबदल की बुराई राष्ट्रीय चिंता का विषय रही है। यदि इसका मुकाबला नहीं किया गया, तो यह हमारे लोकतंत्र की नींव और इसे बनाए रखने वाले सिद्धांतों को कमजोर कर सकती है। इस उद्देश्य के साथ, अभिभाषण में एक आश्वासन दिया गया था राष्ट्रपति ने संसद में अभिभाषण में कहा कि सरकार संसद के वर्तमान सत्र में एक दल-बदल विरोधी विधेयक पेश करने का इरादा रखती है। यह विधेयक दल-बदल को गैरकानूनी घोषित करने और उपरोक्त आश्वासन को पूरा करने के लिए है।"

जब उपरोक्त प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई, तो इस न्यायालय ने संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2, 3 और 4 का हवाला देते हुए किहोतो होलोहन (ऊपर) में कहा हैः

"दसवीं अनुसूची के ये प्रावधान राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता देते हैं। एक राजनीतिक दल एक विशेष कार्यक्रम के साथ मतदाताओं के सामने जाता है और वह ऐसे कार्यक्रम के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों को खड़ा करता है। एक व्यक्ति जिसे मिलता है किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के रूप में चुना जाना उस राजनीतिक दल के कार्यक्रम के आधार पर चुना जाता है। पैराग्राफ *2(1)(ए)* के प्रावधान इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक औचित्य और नैतिकता की मांग है कि यदि ऐसा व्यक्ति चुनाव के बाद, अपनी संबद्धता बदल लेता है और उस राजनीतिक दल को छोड़ देता है जिसने उसे चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, तो उसे विधायिका की अपनी सदस्यता छोड़ देनी चाहिए और मतदाताओं के सामने वापस जाना चाहिए। यही मानदंड किसी व्यक्ति पर भी लागू होता है जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना गया है और चुनाव के बाद एक राजनीतिक दल में शामिल होना चाहता है।" (जोर दिया गया)

दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1) के स्पष्टीकरण (ए) में अधिनियमित कानूनी कल्पना का दायरा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस अदालत के फैसले से यह काफी हद तक तय हो गया है कि एक डीमिंग प्रावधान, डीमिग प्रावधान, 'मान लिए गए' तथ्य की गैर-मौजूदगी की स्वीकारोक्ति है। विधायिका किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व को मानने के उद्देश्य से डीमिंग प्रावधान लागू करने में सक्षम है जो अस्तित्व में ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि न्यायालयों को यह मान लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति वास्तविक रूप में मौजूद है, और उन परिणामों और घटनाओं की वास्तविक रूप में

कल्पना करनी चाहिए जो अनिवार्य रूप से उत्पन्न होती हैं, और उसी को प्रभावी बनाती हैं।

डीमिंग प्रावधान का उद्देश्य किसी विशेष शब्द के अर्थ को बढ़ाना या उन मामलों को शामिल करना हो सकता है जो अन्यथा मुख्य प्रावधान के अंतर्गत आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। इस संबंध में ईस्ट एंड डवेलिंग्स कंपनी लिमिटेड केस (1952) एसी 109 (1951) 2 ऑल. ई.आर. 587 में निर्धारित कानून। इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में का पालन किया गया है, जो बॉम्बे राज्य बनाम पांडुरंग, एआईआर (1953) एससी 244 से शुरू होकर एम. वेणुगोपाल बनाम डिवीजनल मैनेजर [1994] 2 एससीसी 323. में तीन न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले के साथ समाप्त हुआ, एन.पी. सिंह, न्यायाधिपति, ने बेंच की ओर से बोलते हुए पृष्ठ 329 पर कानून को इस प्रकार बताया:

> "एक डीमिंग क्लॉज का प्रभाव सर्वविदित है। विधायिका एक वैधानिक कल्पना पेश कर सकती है और अदालतों को इस धारणा पर आगे बढ़ना होगा कि ऐसी स्थिति प्रासंगिक तिथि पर मौजूद है।इस संबंध में, किसी को अक्सर ईस्ट एंड डवेलिंग्स कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल के मामले में लॉर्ड एस्क्विथ द्वारा कही गई बात याद आती है कि जब किसी को काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उसे निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए, जब तक कि, ऐसा करने से मना किया गया है, साथ ही उन परिणामों और घटनाओं की वास्तविक कल्पना करें जो अनिवार्य रूप से इससे उत्पन्न हुए हैं - जब उस स्थिति के अनिवार्य

रूप से परिणामों की बात आती है तो किसी को अपनी "कल्पना को भटकने" की अनुमति नहीं देनी चाहिए।"

ऐसा प्रतीत होता है कि दसवें के पैराग्राफ 2 (1) के स्पष्टीकरण के बाद से अनुसूची में प्रावधान है कि सदन का कोई निर्वाचित सदस्य उस राजनीतिक दल, यदि कोई हो, का सदस्य समझा जाएगा, जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया गया था, ऐसा व्यक्ति जिसे इस प्रकार उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया गया था और सदस्य के रूप में चुना गया था, उस दल का सदस्य बना रहेगा। भले ही ऐसे सदस्य को पार्टी से बाहर कर दिया जाए या निष्कासित कर दिया जाए, लेकिन दसवीं अनुसूची के उद्देश्यों के लिए वह उस राजनीतिक दल का सदस्य बना रहेगा जो उन्होंने उन्हें चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था। वह उस राजनीतिक दल से संबंधित बने रहेंगे, भले ही उन्हें 'अनासक्त' माना जाए। आगे सवाल यह है कि पैराग्राफ 2 (1) (ए) में दिए गए प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक पार्टी की अपनी सदस्यता कब छोड़ देता है? स्वैच्छिक रूप से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने का कार्य या तो स्पष्ट या निहित हो सकता है। जब कोई व्यक्ति जिसे पार्टी से बाहर कर दिया गया है या निष्कासित कर दिया गया है, जिसने उसे उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया है और निर्वाचित हुआ है, वह किसी अन्य (नई) पार्टी में शामिल हो जाता है, तो यह निश्चित रूप से उसकी स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने के बराबर होगा जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया था।

हमारा विचार है कि किसी सदस्य को 'अनासक्त' के रूप में लेबल करने का न तो कोई स्थान है और न ही दसवीं अनुसूची में कोई मान्यता है। हमें ऐसा लगता है कि

दसवीं अनुसूची में सदस्यों का वर्गीकरण केवल आगे बढ़ता है सदन में उनके प्रवेश की रीति पर, (1) वह व्यक्ति जिसे किसी राजनीतिक दल द्वारा ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किए जाने पर चुना गया है; (2) वह व्यक्ति जिसे किसी राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के अलावा अन्य सदस्य के रूप में चुना गया है-जिसे आमतौर पर 'स्वतंत्र उम्मीदवार' के रूप में संदर्भित किया जाता है; और (3) एक जिसे नामित किया गया है। उल्लिखित श्रेणियाँ संपूर्ण हैं। हमारे विचार में, संविधान की दसवीं अनुसूची में परिकल्पित या प्रदान की गई श्रेणी के अलावा एक नई श्रेणी या खंड का आविष्कार करना अस्वीकार्य है। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक दल और उसे उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, सदन के लिए निर्वाचित होता है और उसके बाद किसी भी कारण से किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, पार्टी से निष्कासन के कारण या अन्यथा, वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग दे और अयोग्यता का सामना करें। 'अनासक्त' के रूप में माना जाना केवल सुविधा की बात है दसवीं अनुसूची और इसके तहत मान लिए जाने वाले तथ्य को नहीं बदलता है, पैराग्राफ 2 (1) का स्पष्टीकरण के तहत। जहाँ तक दसवीं अनुसूची का संबंध है, ऐसी व्यवस्था और लेबलिंग का कोई कानूनी संबंध नहीं है। यदि अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए विवाद को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह उसी उद्देश्य को विफल कर देगा। जिसके लिए दसवीं अनुसूची पेश की गई और यह मतदाताओं के विश्वासघात जैसी शरारत को दबाने में विफल रही। इसलिए, हमारी राय है कि काल्पनिक कल्पना को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए अन्यथा निष्कासित सदस्य कानून की कठोरता से बच जाएगा जिसका उद्देश्य दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाना था जिसने हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को प्रदूषित किया था।

श्री शांति भूषण ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 1 (बी) पर जोर दिया और तर्क दिया कि किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन के सदस्य के संबंध में विधायक

दल का अर्थ है उस सदन के सभी सदस्यों का समूह जो उस राजनीतिक दल से संबंधित हैं।और इसलिए समझा जाता है कि जिन अपीलार्थियों को दल से बाहर कर दिया गया था या निष्कासित कर दिया गया था, वे उस राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे और न ही वे उस दल द्वारा दिए गए किसी ज़ोर से बाध्य नहीं होंगे, और इसलिए, वे अनासक्त सदस्य हैं जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं था, और ऐसी स्थिति में पैराग्राफ 2 (1) के स्पष्टीकरण के उप-पैराग्राफ (ए) में माना जाने वाला प्रावधान लागू नहीं होगा। हमें डर है कि यह सवाल पूछने के अलावा और कुछ नहीं है। पैराग्राफ 1 (बी) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसे पैराग्राफ 2,3 और 4 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। पैराग्राफ 1 (बी) किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन के सदस्य के संबंध में विधायक दल को संदर्भित करते हुए, पैराग्राफ 2,3 और 4 के प्रावधानों को संदर्भित करता है, जैसा भी मामला हो, जिसका अर्थ है उस सदन के सभी सदस्यों का समूह जो कुछ समय के लिए उस राजनीतिक दल, यथास्थिति, पैरा ग्राफ 2,3 और 4, उक्त प्रावधानों के अनुसार। स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा गया पैराग्राफ 2 (1) स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक निर्वाचित सदस्य उस राजनीतिक दल से संबंधित रहेगा जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में उम्मीदवार के रूप में चुनाव में स्थापित किया गया था। इसके बावजूद उन्हें उस पार्टी से बाहर कर दिया गया या निष्कासित कर दिया गया। यह सदस्य और उसके दल के बीच का मामला है और इसका दसवें खंड से कोई लेना-देना नहीं है। अपने सदस्य के रूप में किसी राजनीतिक दल की कार्रवाई का कोई महत्व नहीं है और यह दसवीं अनुसूची के तहत कानून की कल्पना पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। हम पूरी तरह से दसवीं अनुसूची के खंड 1 (बी) के आधार पर याचिका को खारिज करते हैं।

रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ और अन्य, *[1994]* सप। *2* एससीसी *641* के मामले में इस अदालत के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। उक्त

निर्णय में, संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) का अर्थ लगाया गया था और इसे पृष्ठ 649 पर इस प्रकार देखा गया हैः

> "उक्त पैराग्राफ में किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदन के सदस्य को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है "यदि उसने स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ दी है"। शब्द "स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ दी" "इस्तीफे" का पर्याय नहीं हैं और इनका व्यापक अर्थ है। एक व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। एक राजनीतिक दल की उनकी सदस्यता भले ही उन्होंने उस दल की सदस्यता से अपना इस्तीफा नहीं दिया है। सदस्यता से औपचारिक इस्तीफे के अभाव में भी एक सदस्य के आचरण से एक उग्रता प्राप्त की जा सकती है जो उसके पास है। उन्होंने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी जिससे वे संबंधित हैं।" (जोर दिया गया)

यदि वह अपनी इच्छा से किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होता है, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने वर्तमान मामले में किया था, तो यह माना जाना चाहिए कि उसने उस राजनीतिक दल को छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर ली है जिसमें वह शामिल हुआ था। दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) के स्पष्टीकरण के तहत माना जाना चाहिए। बेशक, न्यायालय ऐसे साक्ष्य पर जोर देंगी जो सकारात्मक, विश्वसनीय और स्पष्ट हो।

उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित अयोग्यता के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले में इन अपीलों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलें व्यय सहित

खारिज की जाती हैं। प्रत्येक अपीलार्थी को अलग-अलग भाग में व्यय का भुगतान करना होगा।

याचिकाएं खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अर्जिता सिंह द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।